उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H98586/सी–3/NGT.336/2023 दिनांकः 31/07/2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report of The Joint Committee and Action Taken Report (ATR) in compliance of the order dated-25.05.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 276 of 2023 Virender Versus State of U.P.

Sir,

That in compliance of the order dated 25.05.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 276 of 2023 Virender Versus State of U.P. The inspection of Joint Committee conduct on dated-19.07.2023 and on 20.07.2023.

The Action Taken Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

31/7/23

(Ghanshyam)
Chief Environmental Officer,
Circle-3

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for necessary action please.
2. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
3. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

31/7/23

Chief Environmental Officer,
Circle-3

O/C

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 444/G/OA-276/विरेन्द्र/2023 दिनांक– 25/07/2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3),
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–276/2023 Virendra Versus State of UP के संबंध में पारित आदेश दिनांक–25/05/2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच94796/सी–3/एनजीटी–336/ओए–276/2023 दिनांक–01/06/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–276/2023 Virendra Versus State of UP के संबंध में पारित आदेश दिनांक–25/05/2023 के अनुपालन के संबंध में संयुक्त जांच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यवाही आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः संयुक्त जांच आख्या मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–विधि अधिकारी, प्रथम, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDERDATED 25.05.2023 IN THE ORIGINAL APPLICATION NO. 276 OF 2023 IN THE MATTER VIRENDER VS STATE OF U.P.

Background-

Hon'ble NGT in its Order Dated 25.05.2023 Original Application No. 276 OF 2023 in the matter of Virender VsState of U.P., which is registered on a letter petition dated 21.01.2023 sent by complainant Virender S/o Ram Krishan, Pradhan, Gram Panchayat Dhirkhera, Meerut directed as below-

...."In our view the complaint raised in the application, at the first instance can be looked into by the local authorities. Hence, we direct a joint Committee comprising District Forest Officer, Meerut, District Magistrate, Meerut and State PCB to look into the complaint, visit the site, collect relevant informations and if finds any violation of environmental laws and norms, take appropriate remedial and preventive action in accordance with law, within two months."....

Inspection of site and action taken report-

The complainant Virender S/o Ram Krishan, Pradhan, Gram Panchayat Dhirkhera, Meerut has made complain to District Magistrate, Meerut on 21.01.2023 stating with same contents as complain sent to Hon'ble NGT. It was mentioned in the complaint that soil excavation carried out in an illegal manner in Khata No.- 00446 of village Dhirkhera and Khata No.- 00291, 00093, 00316 & 00020of village Fakharpur Kavatta Copy of the complaint is annexed as **Annexure-1**.

In compliance of the above direction field inspection has been carried out by the nominated officials of the above authorities on 19 & 20 July, 2023 (Details attached). Required steps has been taken by District Administration and Mining Department in this regard. Details of the same are as below-

Soil Excavation

- **Khata No.- 00446**–In Gata No.- 40 & 41 of Khata No.- 00446 of village- Dhirkhera, Tehsil- Sadar, District- Meerut excavation of soil was carried

out for the purpose of road construction of National Highway Authority of India NH-235 from Meerut to Bulandshahr. Permission for the soil excavation has been issued vide Order No.- 326/Kha.Li./2021, dated-05.042021 by the permission of Office of the District Magistrate. Copy of the same is annexed as **Annexure-2**.

- **Khata No.- 00291** –In Khata No.-00291 of village-FakharpurKavatta, Tehsil-Sadar, District- Meerut no soil excavation was observed. Presently Paddy/Rice Crop is planted. Photograph of the same is attached.

- **Khata No.- 00093** –In Khata No.-00093 of village-FakharpurKavatta, Tehsil-Sadar, District- Meerut no soil excavation was observed. Village Concrete Road passes through the Gata No.-00093. Presently dung cake piled on the land. No crops have been sowed. Photograph of the same is attached.

- **Khata No.- 00316** –In Gata No.- 429Mi.Khata No.- 00316 of village-FakharpurKavatta, Tehsil- Sadar, District- Meerut soil excavation is observed and same is reported for action proceedings, which is in process.

- **Khata No.- 00020** –In Gata No.- 409.Khata No.- 00020 of village-FakharpurKavatta, Tehsil- Sadar, District- Meerut soil excavation is observed and same was reported in sequence of complain moved by complainant. Fine of Rs. 75,600/- was imposed vide Order No.-428/KhananLipik, Dated- 07.02.2023 of Office of the District Magistrate, Meerut for the illegal excavation of soil. Imposed fine was deposited in treasury on Dated- 24.03.2023 by the alleged. Copy of the Order & Challan is annexed as **Annexure-3**.

Cutting of Trees

Regarding cutting of fruit bearing and shade trees, forest department is of the view that no such trees have been cut which are covered in conserved species or for which prior permission is required.

Findings of the Visit and Action Taken:

It is found that soil excavation has been carried out in 03 Khata Nos. out of 05 Khata Nos. mentioned in the complaint. Required actions have been taken or are in process as mentioned above by concerned departments for the violation stated by the complainant through the complaint addressed to the District Magistrate, Meerut on 21.01.2023.

Joint report in the compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal in the matter is for kind consideration.

Sub-divisional Magistrate District – Meerut	ADTASVI RAI, IAS
Mining Officer District –Meerut	N. Kumar NARENDRA KUMAR
Forest Range Officer District– Meerut	विश्वास चन्द्र
Assistant Environment Engineer U.P. Pollution Control Board, Meerut	(Y.K. Mishra)

खाता संख्या - 00316

खातासंख्या - 00093

खाता संख्या - 00020

खाता संख्या - 00291

सेवा मे

जिलाधिकारी

जनपद मेरठ

21/11/23

विषय – भूमाफियाओ द्वारा लगातार अवैध खनन करके धन अर्जित किये जाने के सम्बन्ध मे।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत धीरखेडा, विकास खण्ड खरखौदा, थाना खरखौदा जनपद मेरठ के वर्तमान मे प्रधान है। प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि 1. हरेन्द्र पुत्र फूलसिंह निवासी फरुखपुर कवटटा ग्राम धीरखेडा के खाता संख्या 00446 में दर्ज कृषि योग्य भूमि में से तथा 2. यतेन्द्र कुमार पुत्र भोपाल सिंह निवासी कवटटा 3. नत्यो देवी पत्नी स्व० भोपाल सिंह निवासी कवटटा खाता संख्या 00291 में दर्ज कृषि योग भूमि मे 4. दाताराम पुत्र गोफी निवासी फरुखपुर कवटटा 5. लिखीराम पुत्र गोफी निवासी फरुखपुर कवटटा ग्राम फरुखपुर कवटटा के खाता संख्या 00093 में दर्ज कृषि योग्य भूमि मे से 6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र देवी सहाय 7. नेपाल सिंह पुत्र देवसिहाय 8. भोपाल सिंह पुत्र देवी सहाय 9. कमल सिंह पुत्र देवी सहाय नरेन्द्र सिंह पुत्र देवी सहाय निवासीगण ग्राम फरुखपुर कवटटा, ग्राम फरुखपुर कवटटा की खाता संख्या 00316 मे दर्ज कृषि योग्य भूमि में 10. हरिकृष्ण पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम असौडा जनपद हापुड तहसील हापुड 11. राजवीर पुत्र छिददा सिंह निवासी ग्राम असौडा तहसील हापुड 12. जयप्रकाश पुत्र छिददा सिंह निवासी ग्राम असौडा तहसील हापुड ग्राम फरुखपुर कवटा के खाता संख्या 00020 में दर्ज कृषि योग्य भूमि में से ट्रैक्टर ट्राली तथा डम्फर संख्या UP 37 AT 2805, UP 14 HT 6306 तथा UP 15 ET 5010 के माध्यम से 13. रुपेश कसाना पुत्र जनम सिंह 14.कपिल कसाना पुत्र जनम सिंह निवासीगण ग्राम धीरखेडा तथा 15. गौरव कसाना पुत्र सुभाष 16. राहुल कसाना पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम धीरखेडा अपनी बुलैरो गाडी संख्या UP 15 DY 1302 में अवैध हथियारो से लैस होकर तथा दो जे०सी०बी० मशीन संख्या UP 37 AT 1290 तथा एक बिना नम्बर की जे०सी०बी० मशीन का प्रयोग करके लगातार चोरी चुपके बिना किसी भी वैध अनुमति के सारी रात अपने निजि स्वार्थ पुर्ति करते हुये अवैध खनन करके सम्पत्ति अर्जित करते चले आ रहे है। उपरोक्त सभी लोगो ने अवैध खनन करके कृषि भूमि पर उगे हुए सैकडो फलदार अथवा छाया दार वृक्षो को भी नष्ट कर दिया है जिससे पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुच रही है तथा ग्राम धीरखेडा में सरकारी नलकूप संख्या 132 HG पर जाने वाले रास्ते तथा सिचाई की नाली व सरकारी नलकूप के

परिसर की भूमि का भी अवैध खनन करके लगभग 20–20 फिट मिट्टी का अवैध खनन कर रखा है। उपरोक्त सभी लोग दबंग किस्म के व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति इनके शिकायत करने को आगे नही आता है। अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त लोगो की शिकाय कर्ता है तो उपरोक्त लोग धन बल तथा शारिरिक बल के दम पर शिकायत को वापस करा देते है। उपरोक्त लोगो से क्षेत्र की जनता डरते है। रास्ते की ऊचाई 20 फीट हो गयी है उपरोक्त खाता संख्यो की फर्द, उपरोक्त डम्फरो की फोटो तथा जमीन से निकाले जाने पर ली गयी फोटो ग्राफ तथा अवैध खनन करने से सडक की ऊचाई अत्यधिक होने के कारण किसानो के दुर्धटनाग्रस्त ट्रेक्टर की फोटो प्रार्थी शिकायती पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। उपरोक्त सभी लोगो ने अवैध खनन करके अवैध मिटटी का स्टोक धीरखेडा स्थित पट्रोल पम्प के पीछे स्टोक जमा कर रखा है उक्त प्रकरण के फोटो ग्राफ तथा उक्त अवैध खनन की जा रही भूमि से सम्बन्धित खाता संख्याओ की फर्दे / खतौनीया तथा अवैध खनन मे लगे हुए वाहनो की फोटोग्राफ व कम्प्यूटर से निकाली गयी पंजीकरण की छाया प्रतिया शिकायत पत्र के साथ संलग्न है उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जॉच करा कर अवैध खनन करके धन अर्जित करने वालो के विरुध नियमानुसार कार्यवाही कराने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

दिनांकः– 21.01.2023

प्रार्थी

विरेन्द्र पुत्र रामकिशन

प्रधान ग्राम पंचायत धीरखेडा

मेरठ मो० 9412001500

प्रधान

ग्राम पंचायत धीरखेड़ा

वि० ख० खरखौदा (मेरठ)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ (उ०प्र०)
2. माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली
3. माननीय अध्यक्ष पर्यावरण भवन टी सी –12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ (उ०प्र०)

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ।
(खनन अनुभाग)

संख्या 326 / ख0लि0 / 2021 दिनांक:- 05-04-2021.

मिट्टी निकासी हेतु अनुमति

कृपया पत्रावली के दांयी ओर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा NH-235 from Meerut to Bulandshahar (ch.8-600 km 66-482 km) in tha state of Uttar Prades on Hybrid Annuity mode" के निर्माण करने के लिये जनपद मेरठ में कार्य करने का ठेका मैसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा0लि0 को दिया गया है जिसमें मिट्टी की आवश्यकता है जिस कारण उक्त कम्पनी द्वारा मिट्टी की आपूर्ति के लिए प्रार्थी की फर्म मैसर्स पवन कौशिक (ओ एण्ड एम हैड) बी-9 विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को ठेका दिया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम धीरखेड़ा तहसील व जिला मेरठ के खसरा सं0 40 रकबा 0.3670 है0, खसरा संख्या 41 रकबा 0.8200 है0, में से 0.7000 है0 कुल नं0-2 कुल रकबा 1.0670 है0 मे से साधारण मिट्टी के खनन के लिए दिनांक 11-03-2021 को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र पर प्राप्त उपजिलाधिकारी मेरठ की आख्या दिनांक 24-03-2021 पर सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-04-2021 द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या 641 (3) 86-2018-153 (सामान्य)/2017 दिनांक 28-03-2018 में दिये गये निर्देशानुसार साधारण मिट्टी की रायल्टी दर शून्य कर दी गयी है।

अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा NH-235 from Meerut to Bulandsahar (ch.8-600 km 66-482 km) in tha state Uttar Prades on Hybrid Annuity mode" के निर्माण करने के लिये जनपद मेरठ में कार्य करने का ठेका मैसर्स एपको इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा फर्म मैसर्स पवन कौशिक (ओ एण्ड एम हैड) बी-9 विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को ठेका दिया गया है उसके अतिरिक्त सुविधा निर्माण हेतु मिट्टी की आपूर्ति के लिए ग्राम धीरखेड़ा तहसील व जिला मेरठ के खसरा सं0 40 रकबा 0.3670 है0, खसरा संख्या 41 रकबा 0.8200 है0, में से 0.7000 है0 कुल नं0-2 कुल रकबा 1.0670 है0 मे से 01 मीटर गहराई तक कुल 10200 घन मीटर साधारण मिट्टी के खनन की 01 माह की अवधि दिनांक 05-04-2021 से दिनांक 04-05-2021 तक निम्न शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।3

भूमि का विवरण

तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है0में	खातेदार का नाम व पता
मेरठ	मेरठ	धीरखेड़ा	40 41	0.3670 है0 0.8200 है0 में से 0.7000 है0 कुल रकबा 1.0670 में से 01 मीटर गहराई तक कुल 10200 घन मी.	श्री विजय सिंह, हुकम सिंह, नरेश कुमार, हरेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व0 श्री फूल सिंह निवासीगण ग्राम फखरपुर कबट्टा तहसील व जिला मेरठ

शर्तें-

1- उपखनिज निकासी अनुमति धारक राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2- अनुज्ञाधारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे किसी सार्वजनिक मार्ग, चकमार्ग, नाली, राजस्व भूमि भवन, भू-स्थल आदि सार्वजनिक भूस्थल सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सटे हुए खेतों की मेड़ आदि को क्षति न पहुंचे यदि अनुज्ञाधारक के द्वारा किये गये खनन से किसी सार्वजनिक मार्ग, यथा सड़क व चकमार्ग नाली अथवा प्रस्तावित खनन स्थल के सटे हुए खेतों की मेड़ों को क्षति पहुंचती है अथवा मिट्टी का कटान होता है तो अनुज्ञाधारक सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अर्थदण्ड की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
3- अनुज्ञा पत्र धारक निर्मित भवन आदि से 50 मीटर दूरी छोड़ते हुए Slope देकर ही सुरक्षित ढंग से खनन करेगें।
4- अनुज्ञा पत्र धारक खनिज निकासी अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों को लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रति नियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने हेतु प्रस्तुत करेगा।
5- अनुज्ञा पत्र धारक को उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तो का पालन करना होगा।
6- यह अनुज्ञा पत्र खनिज की निकासी हेतु स्वीकृत मात्रा अथवा अवधि जो भी पहले घटित होगी तक मान्य होगा।
7- अनुज्ञा धारक प्रत्येक 15 दिन में किये गये खनन की मात्रा का विवरण जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) में प्रस्तुत करेगा।
8- खनन कार्य 01 मीटर की गहराई में किया जाना प्रस्तावित है। खनन कार्य के दौरान 9 इंच तक निकाली गई टोप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जायेगा। जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जायेगा। खनन कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग, भवन, कार्यरत मजदूर, एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे और यदि कोई क्षति/हानि होती है तो उसका समस्त मुआवजा/प्रतिकर अनुज्ञा धारक द्वारा देय होगा।
9- यदि खनन करते समय कोई अन्य उप खनिज निकलता है तो अनुज्ञा धारक को उसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को देनी होगी व अन्य उप खनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो अनुज्ञा धारक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10- हाईटेंशन लाईन के टावर से कम से कम 50 मीटर दूरी छोडकर ही खनन कार्य किया जायेगा।
11- पक्की रोड,बिजली का खम्बा,नाला तथा सार्वजनिक स्थल आदि से भी कम से कम 50 मीटर की दूरी छोड़कर ही खनन कार्य किया जायेगा।
12- अनुज्ञापी खनन कार्य नियमों के अधीन दिन में ही खनन कार्य करेगा, रात्रि में खनन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उप खनिज का परिवहन त्रिपाल आदि से ढक कर ही किया जायेगा। तथा खनन स्थल एवं परिवहन मार्ग पर लगातार पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जायेगा।
13- अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनन करने पर अनुज्ञापी पर नियमानुसार अर्थ दण्ड आरोपित किया जायेगा जिसे अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित अवधि में कोषागार में जमा कराया जाना होगा।
14- यदि अनुज्ञा पत्र धारक ऊपर दी गयी शर्तो के अनुरूप कार्य न करके शर्तो का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अधीन वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
15- अनुज्ञापी, माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली अथवा शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
16- अनुज्ञापी द्वारा खान अधिनियम 1952, खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम-1957 तथा नियमावली 1963 एवं वर्तमान शासनादेशों का पालन किया जायेगा। वन भूमि से 100 मीटर से अधिक दूरी छोड़ते हुए ही खनन कार्य किया जायेगा तथा वृक्षों से 10 मीटर की दूरी, आसपास खेतों से 01 मीटर तथा चकमार्ग से 2 मीटर की दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य किया जायेगा।
17- अनुज्ञापी द्वारा तहसील स्तर से सीमांकन कराने के उपरान्त ही खनन कार्य किया जायेगा।
18- अनुज्ञापी खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक फैंसिंग आदि की व्यवस्था करेगें।

अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
मेरठ

संख्या व दिनांक उपरोक्त
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
3- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार मेरठ।
4- प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, खरखौदा/मुण्डाली।
5- अनुज्ञा धारक मै0 फर्म मैसर्स पवन कौशिक को इस निर्देश के साथ कि उनके द्वारा जो भी वाहन का प्रयोग किया जायेगा उन सभी पर फर्म मैसर्स पवन कौशिक का लोगों लगा हो, उनके अतिरिक्त अन्य कोई वाहन प्रयोग में नही लाया जायेगा।

05/04/2021
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
मेरठ।

Annexure-3

49

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

आदेश

उपजिलाधिकारी मेरठ की आख्या पत्रांक दिनांक 15-11-2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सरजीत, इन्द्रजीत, हरिकिशन, नीरज, बिरजू पुत्रगण चतर सिंह व श्री राजबीर, मामचन्द, जयप्रकाश पुत्रगण छिद्दा निवासीगण ग्राम असौडा तहसील व जिला हापुड के द्वारा खसरा संख्या 409 रकबा 2.1530 है० स्थित ग्राम फखरपुर कबट्टा तहसील व जिला मेरठ मे से 3780 घन मीटर का अवैध खनन बिना अनुमति प्राप्त किये किया गया है।

इस सम्बन्ध मे विपक्षी को इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 2197 / ख0लि0-2021 दिनांक 04-12-2021 जारी किया गया। नोटिस बिना तामिल वापस प्राप्त होने के कारण इस कार्यालय के द्वारा पुनः नोटिस संख्या 259 ख0लि0 /2021 दिनांक 25-11-2022 को जारी किया गया जिसमे दिनांक 27-12-2022 उपस्थित होने के लिए निर्धारित की गयी। नोटिस की तामीली विपक्षीगण पर जानकारी होने के उपरान्त भी विपक्षीगण हाजिर नही आये तथा न ही किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोई लिखित अथवा मौखिक कथन प्रस्तुत किया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण को उनके द्वारा किया गया अवैध मिट्टी खनन स्वीकार है।

विपक्षीगण के हाजिर न आने तथा कोई लिखित अथवा मौखिक कथन प्रस्तुत न करने के कारण विपक्षीगण का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली पर उपजिलाधिकारी मेरठ की आख्या दिनांक 15-11-2021 से विपक्षीगण द्वारा खसरा संख्या 409 मे से 3780 घन मीटर स्थित ग्राम फखरपुर कबट्टा तहसील व जिला मेरठ मे से अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि होती है। **उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने पर धारा-57 के अन्तर्गत अनाधिकृत खनन के लिए शास्ती जो कोई भी नियम-3 के उपबंधों का उल्लंघन करें वह दोष सिद्व हो जाने पर दोनों मे से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष तक हो, सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डीय होगा, जो प्रति हैक्टेयर क्षेत्र के लिए न्यूनतम दो लाख रूपये एवं अधिकतम पाच लाख रूपये प्रति हैक्टेयर तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डो से दण्डनीय होगा।** चूंकि अवैध खननकर्ता द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन किया गया है इसलिए अधिकतम न्यूनतम दो लाख रूपये की दर से शास्ती / अर्थदण्ड आरोपित किया जाना उचित है।

भूमि स्थित ग्राम फखरपुर कबट्टा तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 409 में से कुल 3780 घन मीटर मिट्टी का अवैध खनन बिना किसी अनुमति के किये जाने के कारण विपक्षी पर उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम-3 का उल्लंघन किये जाने पर धारा-57 के अन्तर्गत दो लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से औसत प्रति घन मीटर 20/-रूपये दर से अर्थदण्ड 75,600/-रूपये (पिच्छेत्तर हजार छः सौ रूपये) आरोपित किया जाना नियम संगत है जो कि विपक्षीगण से नियमानुसार वसूल कराकर सम्बन्धित लेखा शीर्षक 0853001020100 मे जमा कराया जाना है।

अतः जिलाधिकारी मेरठ के आदेश दिनांक 28-01-2023 के द्वारा श्री सरजीत, इन्द्रजीत, हरिकिशन, नीरज, बिरजू पुत्रगण चतर सिंह व श्री राजबीर, मामचन्द, जयप्रकाश पुत्रगण छिद्दा निवासीगण ग्राम असौडा तहसील व जिला हापुड पर 20/-रूपये प्रति घन मीटर की दर से अर्थदण्ड 75,600/-रूपये (पिच्छेत्तर हजार छः सौ रूपये) आरोपित किये गये है। अतः उक्त आरोपित धनराशि उक्त लेखा शीर्षक मे 15 दिवस मे जमा कराकर चालान की एक प्रति कार्यालय मे उपलब्ध करा दे। पन्द्रह दिवस मे आरोपित धनराशि जमा न करने की दशा मे वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
मेरठ

संख्या 428 / खनन लिपिक दिनांक 07-02-2023

प्रतिलिपि - तामील हेतु तहसीलदार हापुड के माध्यम से श्री सरजीत, इन्द्रजीत, हरिकिशन, नीरज, बिरजू पुत्रगण चतर सिंह व श्री राजबीर, मामचन्द, जयप्रकाश पुत्रगण छिद्दा निवासीगण ग्राम असौडा तहसील व जिला हापुड को इस आशय से कि वह आरोपित धनराशि आलोह खनन मद संख्या 0853001020100 मे जमा कर चालान की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय में पन्द्रह दिवस मे उपलब्ध कराये। यदि निर्धारित अवधि मे आरोपित धनराशि जमा नहीं की जाती है तो आपके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)
मेरठ

राजस्व निरीक्षक/...
कृपया जांच कर आख्या ...

तहसीलदार
हापुड़।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2 कोषागार प्रपत्र–201 (1)

प्रपत्र संख्या–43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा SBI MBT Cantt

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम [illegible]
2. पता [illegible]
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) [illegible]
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है [illegible]
5. चालान की सकल राशि [illegible] 1530 [illegible] 3780 [illegible]
6. चालान की निबल राशि [illegible]
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर [illegible]
8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा–शीर्षक	उप मुख्य–शीर्षक	लघु शीर्षक	उप–शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0853	06	102	01	00	75,600/-

धनराशि (शब्दों में) [illegible] योग 75,600/-

चालान में लेखा शीर्षक को पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्त्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या C000126 अंकों में रू०

दिनांक .... शब्दों में रू०

24 MAR 2023 0000630 Challan No.

प्राप्त किया
प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

Q-422

संयुक्त जांच आख्या

माननीय राष्टीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित प्रार्थना पत्र संख्या 276/2023 वीरेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 25 मई, 2023 के कम में दिनांक 19–07–2023 व 20–07–2023 में क्षेत्रीय लेखपाल श्री उमेश कुमार क्षेत्र पांची की उपस्थिति में शिकायतकर्ता श्री वीरेन्द्र पुत्र रामकिशन प्रधान ग्राम पंचायत धीर खेडा के शिकायती पत्र दिनांक 21–01–2023 में अंकित ग्राम फखरपुर कबट्टा के खाता संख्या 00291 के खसरा संख्या 249 रकबा 0.2120 है0, खसरा संख्या 153 रकबा 2.2650 है0, खसरा संख्या 159 रकबा 0.2740 है0, खसरा संख्या 236 रकबा 0.0770 है0, खसरा संख्या 237 रकबा 0.0770 है0, खसरा संख्या 259 रकबा 0.0120 है0 कुल रकबा 2.9170 है0 के खातेदार यतेन्द्र कुमार व श्रीमती नत्थो देवी निवासी फखरपुर कबट्टा तहसील व जनपद मेरठ में कोई खनन होना नही पाया गया। वर्तमान में मौके पर धान की फसल खडी हुई है जिसके फोटोग्राम संलग्न है। ग्राम फखरपुर कबट्टा के खाता संख्या 00093 के खसरा संख्या 374 रकबा 0.1010 है0 के खातेदार दाताराम व लिखीराम की भूमि में मौके पर खेती नही हो रही है बल्कि मौके पर कूडी बिटौडे व झाड व पेड खेडे है जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। ग्राम फखरपुर कबट्टा के खाता संख्या 00316 के खसरा संख्या 429/1 रकबा 1.1350 है0, में से 33934 घन मीटर अवैध खनन होना पाया गया जिसकी आख्या क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा तैयार कर तहसीलदार मेरठ के माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। ग्राम फखरपुर कबट्टा के खाता संख्या 00020 के खसरा संख्या 409 के खातेदार श्री हरि कृष्ण पुत्र चतर सिंह नि0 असौडा व राजबीर, जयप्रकाश पुत्रगण छिद्दा आदि के विरूद्व 3780 घन मीटर की अवैध खनन की आख्या उपजिलाधिकारी मेरठ से प्राप्त हुई थी, जिसमें सुनवाई उपरान्त अंकन 75,600/–रू0 हर्जाना आरोपित किया गया जिसे खेत स्वामी द्वारा चालान संख्या सी0ओ0–00126 से दिनांक 24–03–2023 को भारतीय स्टेट बैंक मेरठ कैण्ट में जमा कराकर चालान की प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

संयुक्त जांच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

उमेश कुमार
लेखपाल क्षेत्र पांची
तहसील मेरठ।

राजस्व निरीक्षक,
खरखौदा तह0मेरठ

तहसीलदार,
मेरठ

जिला खान अधिकारी
मेरठ।

उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

BHULEKH
Uttar Pradesh

← Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : धीर खेड़ा   परगना : (सरावा)   तहसील : सदर   जनपद : मेरठ   फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)   भाग : 1   खाता संख्या : 00446

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
विजय सिंह / फूल सिंह / फखरपुर कबट्टा हुकम सिंह / फूल सिंह / फखरपुर कबट्टा नरेश कुमार / फूल सिंह / फखरपुर कबट्टा हरेन्द्र सिंह / फूल सिंह / फखरपुर कबट्टा	40 41	0.3670 0.8200		हरेन्द्र सिंह, इला॰ बैंक कैली, 190000/- दि॰ 04-7-18
योग	2	1.1870		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण वहीं) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अप्रमाणित है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India   NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : फख़रपुर कवट्टा परगना : (सरावा) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 खाता संख्या : 00291

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
सुधीर कुमार / मंगत सिंह / फखरपुर कबट्टा यतेन्द्र कुमार / भोपाल सिंह / फखरपुर कबट्टा नत्थो देवी पत्नी / स्व0 भोपाल सिंह / फखरपुर कबट्टा	249 153 159 236 237 259	0.2120 2.2650 0.2740 0.0770 0.0770 0.0120	यतेन्द्र कुमार, इला0बैंक कैली, 135000/- दि0 7-5-14	यतेन्द्र, इला॰ बैंक कैली, 135000/- ऋण अदा किया दि॰ 2-1-18 नत्थो देवी, कि॰से॰सह॰स॰लि॰ कैली, 300000/- दि॰ 01-12-18 यतेन्द्र कुमार, कि॰से॰सह॰स॰लि॰ कैली, 300000/- दि॰ 01-12-18
योग	6	2.9170		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : फखरपुर कबट्टा   परगना : (सरावा)   तहसील : सदर   जनपद : मेरठ   फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)   भाग : 1   खाता संख्या : 00093

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
दाताराम / गोफी / फखरपुर कबट्टा लिखीराम / गोफी / फखरपुर कबट्टा	374क.	0.1010		
योग	1	0.1010		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India   NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : फखरपुर कवट्टा   परगना : (सरावा)   तहसील : सदर   जनपद : मेरठ   फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)   भाग : 1   खाता संख्या : 00316

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
सुरेंद्र सिंह / देवीसहाय / नि.ग्राम नेपाल सिंह / देवीसहाय / नि.ग्राम भोपाल सिंह / देवीसहाय / नि.ग्राम कमल सिंह / देवीसहाय / नि.ग्राम नरेंद्र सिंह / देवीसहाय / नि.ग्राम	429मि. 430मि. 451मि.	1.1350 0.0140 1.1190	श्रीमती ब्रहमो, इला0बैंक कैली, 1,00,000/8-9-08	ब्रहमो देवी, कि॰से॰सह॰स॰लि॰ कैली, 150000/- दि॰ 08-7-19 नैपाल सिंह, केनरा बैंक धीरखेडा, 231000/- दि॰ 27-12-21
योग	3	2.2680		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्दरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India   NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : फखरपुर कवड़ा परगना : (सरावा) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 खाता संख्या : 00020

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
आस मौहम्मद / शनव्वर / नि.ग्राम दिलशाद / शनव्वर / नि.ग्राम अखलाक / शनव्वर / नि.ग्राम कु०शाजमा पुत्री / शनव्वर / नि.ग्राम तमसीरन पत्नी / स्व०शनव्वर / नि.ग्राम हरी कृष्ण / चतर सिंह / असौडा तह0 हापुड जि0 गाजियाबाद विलेंदा / मुराद अली / ग्रामवासी अली शेर / मुराद अली / ग्रामवासी मनव्वर / मुराद अली / ग्रामवासी गुलशेर / मुराद अली / ग्रामवासी राजवीर / छिद्दा िंसह / असौडा पर0तह0 हापुड जिला गा0बाद जयप्रकाश / छिद्दा िंसह / असौडा पर0तह0 हापुड जिला गा0बाद खुरशीद अली / मेद अली / नि. ग्राम जाहिद अली / मेद अली / नि. ग्राम हनीफा पत्नी / स्व0 मेद अली / नि. ग्राम हरिओम / हरिकिशन / असौडा तह०व जिला हापुड सरजीत / मामचन्द / असौडा इन्द्रजीत / मामचन्द / असौडा	409	2.1530	अलीशेर, इला0बैंक कैली, 78,000/-7-10-05 हरीकृष्ण, एस0बी0असौडा गा0बाद, 70,000/-2-2-08 विरेन्द्र उर्फ विलेन्दा,इला0बैंक कैली,1,00,000/-दि0 12.09.13 हरीकृष्ण, एस0बी0 असौडा, 321000/- दि0 24-12-14 अलीशेर, इला0बैंक कैली, 100000/- दि0 16-9-15 दिलशाद, कृषक से0सह0स0लि0 कैली, 29200/- दि0 11-1-16 आस मौ0, कृषक से0सह0स0लि0 कैली, 29200/- दि0 11-1-16 तमसीरन, कृषक से0सह0स0लि0 कैली, 29200/- दि0 11-1-16	मनव्वर उर्फ मनब्बर, इला० बैंक कैली, 165000/- दि० 17-1-18 विलेन्द्र उर्फ विलन्दा उर्फ विरेन्द्र, इला० बैंक कैली, 165000/- दि० 17-1-18 अलीशेर, इला०बैंक कैली,220000/- दि० 14-02-18 गुलशेर, इला० बैंक कैली, 180000/- दि० 23-3-18 गुलशेर, कि०से०सह०स०लि० कैली, 124000/- दि० 24-5-19 राजवीर सिंह, एस०बी० असौडा हापुड, 100000/- दि० 23-9-19 अलीशेर ,इण्डियन बैंक कैली ,

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अप्रमाणित है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

नीरज / मामचन्द / असौडा बिरजू / मामचन्द / असौडा				433000/- दि॰ 27-3-2021 हरीकृष्ण, केनरा बैक असौडा, 350000/- दि॰ 19-4-21
योग	1	2.1530		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.